

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा जल उपयोग मानकों का बड़े पैमाने पर पालन नहीं सूचना का अधिकार कानून के तहत प्राप्त जानकारी पर आधारित मंथन अध्ययन केंद्र द्वारा विश्लेषण

सारांश रिपोर्ट

देश में बारिश के आगमन की सामान्य तिथि के एक महीने के बाद भी, देश के बड़े हिस्से में सूखा और जल संकट अखबारों की सुर्खियों में मौजूद हैं। ऐसे कठिन समय में भी ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा जल उपयोग के निर्धारित मानदण्डों की अवमानना करना बहुत गंभीर है। ताप विद्युत संयंत्र न केवल भारी मात्रा में पानी का उपयोग करने वाली परियोजनाएँ हैं बल्कि सम्पूर्ण उद्योग जगत में यह सबसे अधिक पानी का इस्तेमाल करने वाली परियोजना भी है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त जानकारी से मानदण्डों की अवमानना का यह खुलासा हुआ है।

मानकों की पृष्ठभूमि एवं महत्व

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर पानी का उपयोग होता है, जो देश के सम्पूर्ण औद्योगिक जल उपयोग का लगभग 70 प्रतिशत है। इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए, यह कहना उचित है कि ताप विद्युत संयंत्र, स्थानीय क्षेत्रों की जल उपलब्धता पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, खासकर तब, जब वे समूहों में मौजूद हों।

दिसम्बर 2015 में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में पहली बार ताप विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए जल उपयोग का मानक निर्धारित किया गया जिसे “ विशिष्ट जल उपयोग “ कहा गया। इस अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी 2017 से पहले स्थापित ताप विद्युत संयंत्र 1 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिए प्रति घण्टा 3.5 घनमीटर से अधिक जल का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, ये संयंत्र एक यूनिट बिजली (1 किलोवाट आवर KWh) उत्पादन के लिए साढ़े तीन लीटर से अधिक जल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 1 जनवरी 2017 के बाद स्थापित संयंत्रों के लिए यह मानक 3 घनमीटर/मेगावाट-घण्टा है। 2 वर्षों के भीतर यानी दिसम्बर 2017 से पहले सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए इन निर्धारित मानकों का पालन प्रारंभ करना अनिवार्य था। हालांकि समुद्री पानी का उपयोग करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों इस नियम से छूट दी गई थी।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार ताप विद्युत संयंत्र प्रति घण्टा 1 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिए 5 से 7 घनमीटर पानी का उपयोग कर रहे थे। हमारी गणना के अनुसार यदि ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एक मेगावॉट बिजली उत्पादन में हर घण्टे यदि केवल आधा घनमीटर जल उपयोग कम किया जा सके तो 1000 मेगावॉट संयंत्र में इस बचाए गए पानी से सालाना लगभग 700 हेक्टर कृषि भूमि की सिंचाई हो सकती है अथवा करीब 68 हजार लोगों को साल भर घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा जल उपयोग में की गई छोटी सी कटौती के भी स्थानीय समुदायों को बड़े फायदे हो सकते हैं, खासकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में।

केवल आधे विद्युत संयंत्रों द्वारा मानदण्डों का पालन

हम 12 राज्यों में मौजूद ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा अधिसूचित मानदण्डों के पालन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सके जिनमें से केवल 51 प्रतिशत संयंत्रों ने मानदण्डों के अनुसार जल उपयोग को स्वीकार किया।


जिन 156 ताप विद्युत संयंत्रों की हमने जानकारी प्राप्त की उनमें से केवल 66 ने दावा किया कि वे जल उपयोग के निर्धारित मानदण्डों का पालन कर रहे हैं जबकि 30 संयंत्रों से स्वीकार किया कि वे इन मानदण्डों का पालन नहीं कर रहे हैं। 46 संयंत्रों ने तो जानकारी ही नहीं दी या अस्पष्ट जानकारी दी या फिर वे बंद पड़े हैं। शेष 14 संयंत्रों द्वारा समुद्री जल का इस्तेमाल करने के कारण वे जल उपयोग मानक के पालन की बाध्यता से मुक्त हैं।

हमारे पास उपलब्ध आँकड़े संबंधित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं उपलब्ध करवाए गए हैं। इन्हें किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अथवा किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।

इन 156 ताप विद्युत संयंत्रों में से कई सारे लघु एवं केप्टिव ताप विद्युत संयंत्र हैं। अगर हम केवल बड़े ताप विद्युत संयंत्रों (जिनके विद्युत उत्पादन की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दैनिक निगरानी की जाती है) को ध्यान में रखें तो हम केवल ऐसे 75 संयंत्रों की जानकारी इकट्ठा कर पाएँ हैं और उनमें से केवल 34 ताप विद्युत संयंत्रों ने जल उपयोग मानकों का पालन करने और 22 ने पालन न करने की जानकारी दी है।

मानक अनुपालन की राज्यवार स्थिति

दैनिक विद्युत उत्पादन रिपोर्ट (डेली जनरेशन रिपोर्ट/डीजीआर) में शामिल ताप विद्युत संयंत्रों की जल उपयोग मानक अनुपालन स्थिति का एक सम्पूर्ण चित्र **(आकृति संख्या 1)** एवं राज्यवार स्थिति का विवरण **तालिका संख्या 1** में दिया है ।



तालिका संख्या 1: दैनिक विद्युत उत्पादन रिपोर्ट (डेली जनरेशन रिपोर्ट) में शामिल ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा जल उपयोग के मानकों के राज्यावार अनुपालन की स्थिति।

क्रम संख्या	राज्य	संयंत्रों की संख्या*	संयंत्र जिनसे जानकारी मिली#	संयंत्रों द्वारा मानक अनुपालन की स्थिति (श्रेणीवार)					
				अनुपालित	गैर-अनुपालित	समुद्री जल आधारित	स्थिति स्पष्ट नहीं/उत्तर अस्पष्ट	अकार्यरत	जानकारी अनुपलब्ध
1	तमिलनाडु	15	11	4	2	4	0	1	0
2	आंध्रप्रदेश	9	5	0	2	3	0	0	0
3	ओड़ीशा	11	7	6	0	0	0	0	1
4	तेलांगाना	8	9	6	3	0	0	0	0
5	बिहार	7	4	0	4	0	0	0	0
6	झारखंड	8	5	5	0	0	0	0	0
7	असम	1	1	0	0	0	1	0	0
8	उत्तर प्रदेश	19	10	4	6	0	0	0	0
9	छत्तीसगढ़	30	15	8	3	0	4	0	0
10	गुजरात	13	2	0	2	0	0	0	0
11	मध्यप्रदेश	14	1	1	0	0	0	0	0
12	महाराष्ट्र	24	5	0	0	1	4	0	0
	TOTAL	159	75	34	22	8	9	1	1

*दैनिक विद्युत उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार 27 फरवरी 2019 की स्थिति में
#दैनिक विद्युत उत्पादन रिपोर्ट में शामिल संयंत्र
\$सूचना का अधिकार अधिनियम से प्राप्त जानकारी अनुसार

विचारणीय बिंदु

जल उपयोग के मानकों के अनुपालन संबंधी आँकड़ों और सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत प्राप्त जानकारियों में गंभीर चिंताजनक मुद्दे सामने आए हैं -

जानकारी किसी भी स्वतंत्र संस्था से सत्यापित न होना: ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा जल उपयोग मानकों के अनुपालन के स्थिति के बारे में जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई है वह संयंत्रों द्वारा स्वघोषित है। यह जानकारी किसी भी स्वतंत्र संस्था द्वारा सत्यापित नहीं है।

जानकारी देने में मनमानी: हमारे द्वारा 15 राज्यों से सूचना का अधिकार के तहत जानकारी माँगी गई थी जिनमें से 3 राज्यों - पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं कर्नाटक - ने कोई जवाब/जानकारी नहीं दी। ज्यादातर राज्यों ने राज्य में मौजूद सभी ताप विद्युत संयंत्रों के बारे में जानकारी नहीं दी। राज्यों का ऐसा रवैया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता कि ये राज्य क्या वाकई मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा जल उपयोग मानकों के

अनुपालन की स्थिति की नियमित निगरानी कर रहे हैं अथवा नहीं ? क्या ये राज्य केवल उन्हीं ताप विद्युत संयंत्रों की जानकारी संकलित कर रहे हैं, जो उन्हें स्वमेव जानकारी प्रदान कर रहे हैं और बाकियों को नज़रअंदाज़ किया जा है ?

जानकारी संकलन के प्रारूप की अनुपलब्धता: हर एक ताप विद्युत संयंत्र द्वारा प्रदान की गई जानकारी अलग-अलग प्रारूपों में भेजी गयी है। जबकि जल उपयोग मानक की अनुपालन रिपोर्ट हेतु एक निर्धारित प्रारूप पहले से ही उपलब्ध है।

जानकारी अद्यतन नहीं: हमें उपलब्ध करवाई गई कई जानकारियाँ महीनों पुरानी या पूर्व वर्ष की है। इस तरीके से जानकारी देना, मानक अनुपालन की जानकारी संग्रहित करने की नियमितता पर सवाल खड़ा करता है।

असंगत, अपर्याप्त और समझ के परे जानकारी : प्राप्त जानकारी कई मायनों से, अधूरी, असंगत या समझ के परे थी।

प्रदूषण नियंत्रण मंडलों में गंभीरता का अभाव

पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिनकी जिम्मेदारी इस नियम को जल्द से जल्द लागू करवाने की है, दोनों में से कोई भी संस्था अपने इस काम को गंभीरता से लेती दिखाई नहीं दे रही है। नियमों के लागू होने से सम्बंधित दस्तावेज भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडल नियम न मानने वाले ताप विद्युत संयंत्रों को केवल चिट्ठियाँ भिजवाकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं।

इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को नियमों के पालन हेतु दी गयी समयसीमा को बढ़ाने बनाने की भी कोशिश की गई थी जो कानूनन सही नहीं है। नियमों के पालन की समय सीमा 7 दिसम्बर 2017 तक थी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 11 दिसम्बर 2017 को सभी ताप विद्युत संयंत्रों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें इस नियम से सम्बंधित अन्य चीजों के अलावा उल्लेख किया कि **“पानी के उपयोग की सीमा संबंधी नियम के पालन की समयसीमा ताप विद्युत संयंत्रों से परामर्श के बाद निर्धारित की जाएगी।”** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल का यह अभिमत स्पष्ट रूप से हितों के टकराव का मामला है। जल उपयोग मानकों को पूरा करने की समयसीमा तो खुली है ही, लेकिन ऐसी कोई समयावधि निर्धारित नहीं है जिसमें यह समयसीमा तय की जानी है। ऐसे में यह नियम ही अर्थहीन साबित हो जाता है। इस से पत्र की वैधानिकता ही संदेहास्पद है। इसी कारण वकीलों ने भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के इन निर्देशों पर सवाल उठाया है क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण मंडल को समयसीमा बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल नियमों का अनुपालन ही सुनिश्चित कर सकता है।

अनुशंसाएँ

1. सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दिसम्बर 2015 की अधिसूचना में उल्लेखित जल उपयोग मानकों का पालन सभी ताप विद्युत संयंत्र जल्द से जल्द शुरू करें क्योंकि इसकी अंतिम तिथि काफी पहले निकल चुकी है।

2. पहली अनुशंसा में बिना कोई बदलाव किए जहाँ भी नई समय सीमा की जरूरत हो वहाँ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तुरंत समय सीमा निर्धारित करे एवं उस जानकारी को सार्वजनिक करे। लेकिन, यह समयसीमा किसी भी स्थिति में सितम्बर 2019 से आगे की नहीं होनी चाहिए।
3. सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों के लिए यह जरूरी है कि वे जल उपयोग मानकों के अनुपालन सम्बंधी सारी जानकारी नियमित तौर पर इकट्ठा करें।
4. सभी ताप विद्युत संयंत्रों की संकलित सारी जानकारियाँ हर राज्य में एक समान, निर्धारित प्रारूप में संकलित की जाए।
5. सारी संकलित जानकारियाँ अनुपालन की स्थिति के साथ जिम्मेदार संस्थाओं (राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल) को स्वयं ही सार्वजनिक करना चाहिए।
6. अनुपालन की जानकारी भले ही ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं दी गयी हो परन्तु उसका सत्यापन किसी भरोसेमंद संस्था अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा होना अति आवश्यक है।
7. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स को उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और यह जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि स्थानीय समुदाय द्वारा इस पर नज़र रख सकें।

श्रीपाद धर्माधिकारी, सहर रहेजा

१ जुलाई २०१९

मंथन अध्ययन केंद्र, पुणे

www.manthan-india.org

Email: manthan.shripad@gmail.com